बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

—:: संकल्प ::—

पटना—15, दिनांक........................

श्री शिशिर कुमार मिश्र, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—446/2024, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मधेपुरा सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध दिनांक—30.11.2024 को बी0पी0 मंडल इण्डोर स्टेडियम, मधेपुरा में बैडमिंटन खेलने के क्रम में स्थानीय खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन रैकेट फेंककर मारने एवं गाली—गलौज करने की घटना वायरल विडियो के माध्यम से प्रकाश में आने के उपरांत जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक—3551, दिनांक—05.12.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी गयी। उक्त प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक—956, दिनांक—16.01.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—9(1)(क) के प्रावधानों के तहत् श्री मिश्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. श्री मिश्र द्वारा निलंबन मुक्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या—7914/2025 में दिनांक—02.02.2026 को पारित न्यायादेश में उन्हें निलंबन मुक्त करने एवं उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को छः माह के अन्दर पूर्ण करने का आदेश दिया गया है।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री शिशिर कुमार मिश्र, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—446/2024, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मधेपुरा सम्प्रति निलंबित को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है।

5. निलंबन से मुक्ति के पश्चात् श्री मिश्र द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया जायेगा।

6. श्री मिश्र के निलंबन अवधि के सेवा का निरूपण तथा वेतन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्णय उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के अंतिम निष्पादन के बाद ली जायेगी।

आदेशः— **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

Com-14 E:\Office data\Prad Kr\Sankalap.docx

ज्ञापांक–08/आरोप–01–01/2025,सा०प्र०....3507....../पटना, दिनांक...19.2.26

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/जाँच आयुक्त–सह–सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/भागलपुर/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मधेपुरा/भागलपुर/श्री शिशिर कुमार मिश्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–446/2024, मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई०टी० मैनेजर (शीर्ष–09 के अंतर्गत विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.2.26

सरकार के अवर सचिव।

Com-14 E:\Office data\Prad Kr\Sankalap.docx